लोक सभा की दीर्घाओं के लिए दर्शक प्रवेश–पत्र

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

टी. ओ. संख्या 91

मूल्य : 14.00 रु.

© 2014 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित और मै. जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

आमुख

यह सारांश संसदीय प्रक्रिया सारांश माला का भाग है और इसमें लोक सभा की दीर्घाओं में सदस्यों के अतिथियों के प्रवेश हेतु दर्शक प्रवेश-पत्र जारी करने की प्रक्रिया का वर्णन है। यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 386 के अधीन अध्यक्ष द्वारा बनाये गये नियमों पर आधारित है। यह संदर्शिका तत्काल संदर्भ के प्रयोजन के लिए है।

इस सारांश में दी गई जानकारी सम्पूर्ण नहीं है। अत: पूर्ण जानकारी के लिए मूल स्रोतों का ही अवलोकन करें और उन्हीं को विश्वसनीय मानें।

नई दिल्ली;
अप्रैल, 2014
वैशाख, 1936 (शक)

पी. श्रीधरन,
महासचिव।

लोक सभा की दीर्घाओं के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र

सदस्यों के अतिथियों को लोक सभा की निम्नलिखित दीर्घाओं में प्रवेश करने की अनुमति दी जा सकती है:—

(1) सार्वजनिक दीर्घा;

(2) विशेष दीर्घा;

(3) विशिष्ट दर्शक दीर्घा; और

(4) अध्यक्ष दीर्घा।

सार्वजनिक दीर्घा

2. लोक सभा की दर्शक दीर्घा में सदस्यों के अतिथियों के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में उपलब्ध पीले प्रपत्र में भरे हुए और सदस्यों से एक दिन पहले प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के आधार पर जारी किये जाते हैं। सदस्यों को दर्शक प्रवेश-पत्र जारी करने का काम इस प्रकार विनियमित होता है—

(एक) दर्शक प्रवेश-पत्र के लिए एक आवेदन-पत्र में सदस्य के चार से अधिक अतिथियों के नाम नहीं होने चाहिएं;

1

(दो) जिस तिथि के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र चाहिये उससे पहले कार्य-दिवस को 1600 बजे तक आवेदन-पत्र केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में पहुंचना चाहिए; और

(तीन) किसी भी सदस्य को किसी दिन विशेष के लिए नियत घंटों के लिए चार से अधिक दर्शक प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जाएंगे।

3. व्यक्ति-समूहों के लिए दर्शक प्रवेश-पत्रों हेतु आवेदन-पत्र केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में कम से कम, एक दिन पहले पहुंचने चाहिएं तथा उनमें समूह के प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण विवरण दिया जाना चाहिए। समूहों के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र केवल मध्याह्न पश्चात् की बैठक के लिए और नियत घंटों के लिए ही जारी किये जाते हैं।

4. सदस्यों से प्राप्त हुए उसी दिन के आवेदन-पत्रों पर दर्शक प्रवेश-पत्र केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में उपलब्ध लाल रंग के प्रपत्रों में भरे आवेदनों के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किये जाते हैं:—

(एक) उसी दिन के दर्शक प्रवेश-पत्र हेतु आवेदन उस तारीख को, जिसके लिए दर्शक प्रवेश-पत्र चाहिए, महासचिव को यथाशीघ्र दिया जाना चाहिए और ऐसा आवेदन केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(दो) उसी दिन का प्रवेश-पत्र जारी करवाने के लिए, दल के उपनेता या सचेतक जिसको भी दल द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, उसे आवेदन-पत्र पर उसी दिन के प्रवेश-पत्र जारी करने के लिए सिफारिश करनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए सदस्य को दर्शक को संबंधित अधिकारी के पास ले जाना भी अपेक्षित होता है। जब कोई सदस्य उसी दिन का दर्शक प्रवेश-पत्र लेना चाहता है तो उसे अपने अतिथि को स्वागत कार्यालय या केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में संसद सदस्यों के लिए प्रतीक्षा कक्ष में बिठाना चाहिए। अन्य शर्तों को पूरा करने पर ये प्रवेश-पत्र केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में आवेदन-पत्र प्राप्त होने से दो घंटे बाद प्रयोग के लिए उपलब्ध किये जाते हैं;

(तीन) उसी दिन के दर्शक प्रवेश-पत्र सदस्य को ही दिये जाते हैं जिसे इस प्रयोजन के लिए बने रजिस्टर में हस्ताक्षर करना अपेक्षित होता है। यदि कोई सदस्य चाहता हो कि दर्शक प्रवेश-पत्र केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ द्वारा उसके अतिथि को दिया जाये तो सदस्य को आवेदन-पत्र पर संबंधित दर्शक के हस्ताक्षर का सत्यापन करना चाहिए। इसके पश्चात् दर्शक प्रवेश-पत्र तैयार

किया जाता है और वह सदस्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को दिया जाता है;

(चार) जिस व्यक्ति के लिए प्रवेश-पत्र मांगा जाए, वह व्यक्ति सदस्य का पति/सदस्य की पत्नी अथवा बच्चा अथवा निकट संबंधी होना चाहिए, जो उसी दिन अथवा पिछली रात को दिल्ली आया हो और जिसके अगली रात तक दिल्ली में रहने की सम्भावना न हो तथा जिसके मामले में निर्धारित समय-सीमा का पालन करना सम्भव न हो। उसी दिन के प्रवेश-पत्र के आवेदन पत्र में इस प्रयोजन के लिए निश्चित स्थान पर उन विशेष कारणों का उल्लेख संक्षेप में किया जाना चाहिए, जिनकी वजह से निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन नहीं किया जा सका;

(पांच) इस प्रपत्र पर किए गए आवेदन पर किसी दिन विशेष के लिए किसी सदस्य को एक ही समय उसी दिन के दो से अधिक दर्शक प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जा सकते हैं और इस प्रकार के अनुरोध कम से कम किये जाने चाहिएं; और

(छह) इन प्रवेश पत्रों को जारी करने की सीमा प्रति घंटों के हिसाब से 25 प्रवेश-पत्र होगी।

4

विशेष दीर्घा

5. सदस्यों के निम्नलिखित संबंधियों को विशेष दीर्घा के लिए दर्शक प्रवेश-पत्र दिये जा सकते हैं:—

(एक) पुत्र;

(दो) पुत्री;

(तीन) पिता; और

(चार) माता।

6. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने उपर्युक्त संबंधियों से भिन्न व्यक्तियों के लिए विशेष दीर्घा के प्रवेश-पत्रों के लिए आवेदन न करें।

7. विशेष दीर्घा के प्रवेश-पत्रों के लिए आवेदन केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में उपलब्ध सफेद प्रपत्र पर किये जाने चाहिएं।

विशिष्ट दर्शक दीर्घा

8. विशिष्ट दर्शक दीर्घा के दर्शक प्रवेश-पत्र निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को दिये जा सकते हैं:—

(एक) वर्तमान संसद सदस्य की पत्नी/पति;

(दो) भूतपूर्व संसद सदस्य;

(तीन) राज्य विधानमंडलों के सदस्य तथा सचिव;

(चार) न्यायाधीश, कुलपति तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों के उच्चाधिकारी;

(पांच) सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति, जैसे मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय राजनैतिक दलों के प्रधान; और

(छह) विदेशों के विशिष्ट आगन्तुक।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विशिष्ट दर्शक दीर्घा के प्रवेश-पत्रों के लिए आवेदन न करें।

10. विशिष्ट दर्शक दीर्घा के प्रवेश-पत्रों के लिए आवेदन केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में उपलब्ध आसमानी प्रपत्रों पर किये जाने चाहिएं।

अध्यक्ष दीर्घा

11. अध्यक्ष दीर्घा के लिए निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को दर्शक प्रवेश-पत्र दिये जा सकते हैं:—

(एक) राज्य विधानमंडल का पीठासीन अधिकारी तथा उसकी पत्नी/उसका पति;

(दो) राज्य सरकार का मंत्री तथा उसकी पत्नी/उसका पति;

(तीन) अध्यक्ष के निजी अतिथि; और

(चार) मान्यताप्राप्त अखिल भारतीय राजनैतिक दलों के प्रधान, यदि उनके लिए विशिष्ट दीर्घा में स्थान उपलब्ध न हो।

12. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अध्यक्ष-दीर्घा के प्रवेश-पत्रों के लिए आवेदन न करें।

13. अध्यक्ष दीर्घा के प्रवेश-पत्रों के लिए आवेदन केन्द्रीयकृत पास निर्गम प्रकोष्ठ में उपलब्ध लेमन पीला प्रपत्रों पर किये जाने चाहिएं।

पूरा विवरण अवश्यमेव दिया जाना चाहिए

14. सदस्यों को सभी दीर्घाओं के आवेदन-पत्रों में अपेक्षित पूरा विवरण इस प्रकार देना चाहिए:—

(एक) दर्शक का पूरा नाम, उपनाम, प्रथम नाम, मध्य नाम (बड़े अक्षरों में)

(दो) आयु

(तीन) पिता/पति का पूरा नाम

(चार) राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संख्या (केवल विदेशियों के लिए)

(पांच) व्यवसाय का विवरण

(छह) पति के व्यवसाय का विवरण (केवल गृहिणियों के मामले में)

(सात) पूरा स्थायी पता तथा राज्य

(आठ) दिल्ली का पूरा पता

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट पूरा विवरण न दिये जाने पर दर्शक प्रवेश-पत्रों के आवेदन-पत्र लेने से इंकार किया जा सकता है।

15. पहले दिन प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर जारी किये गये दर्शक प्रवेश-पत्र सदस्यों को उनके निवास-स्थान पर संसदीय पत्रों के साथ भेजे जाते हैं।

सदस्यों की जिम्मेदारी

16. दर्शकों को प्रवेश-पत्रों के पीछे मुद्रित अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ने तथा उनका पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए।

17. दर्शक प्रवेश-पत्र के आवेदन-पत्र पर दिये गये निम्नलिखित प्रमाण-पत्र की ओर सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से दिलाया जाता है:—

''उपर्युक्त नाम वाला दर्शक मेरा संबंधी/निजी मित्र है। मुझसे व्यक्तिगत रूप से परिचित है और उसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं।''

18. चूंकि सदस्य, उसके अनुरोध पर दिये गये प्रवेश-पत्र के धारक के दर्शक दीर्घा में किसी अप्रिय अथवा अवांछनीय आचरण के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उसे उस व्यक्ति के, जिसके लिए ऐसे प्रवेश-पत्र का आवेदन किया गया है, पूर्ववृत्त आदि के बारे में अपने आप को पूरी तरह संतुष्ट कर लेना चाहिए।

19. दस वर्ष से कम आयु के बच्चों को दर्शक दीर्घाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है।

20. सदस्यों को दर्शक दीर्घा के प्रवेश-पत्रधारी दर्शकों को उनकी पंक्ति से नहीं हटाना चाहिए और उनकी बारी आने से पहले संसद भवन में नहीं लाना चाहिए। इससे अन्य सदस्यों तथा दर्शकों को शिकायत करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा।

[लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 386]